उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 01/2022–23

मुकीम अंसारी.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सरकार.....उत्तरकारी।

आदेश

18.11.2022

यह अधिहरण अपील वाद प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0– 42/2019 में पारित आदेश दिनांक–10.08.2022 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया

अभिलेख में उपलब्ध संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता द्वारा दामिन प्रक्षेत्र काठीकुण्ड अन्तर्गत झिकरा अधिसूचित वन से बोल्डर (पत्थर) का अवैध रूप से खनन कर परिवहन करने के क्रम में महिन्द्रा ट्रेक्टर (लाल रंग का) चेचिस नं0–RFNEO3660/इंजन नं0–RFNEO3660 –सह–ट्रेलर एवं उस पर लदा बोल्डर (पत्थर) को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989) की धारा 26 एवं 41 के उल्लघंन में उक्त ट्रेक्टर –सह–ट्रेलर को अधिहरण किये जाने के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूदेव राणा उर्फ चुण्डा राणा द्वारा 200cft बोल्डर M/S Mohammad Bazar Crusher, Nischitpur (W.B) से प्रधान मंत्री आवास निर्माण हेतु क्रय किया गया है। उक्त बोल्डर क्रय का Transit Pass/Challan No. Z010905 है। उक्त बोल्डर को अपीलकर्त्ता द्वारा ग्राम–डोमनपुर, बिलाईकान्दर लाने के क्रम में उक्त ट्रेक्टर ट्रेलर

को जप्त किया गया है। उक्त बोल्डर का परिवहन के समय चालक के पास चलान उपलब्ध नही है। प्रश्नगत बोल्डर मान्यता प्राप्त चालान उपलब्ध नहीं था।

प्रश्नगत बोल्डर का मान्यता प्राप्त चालान एवं परिवहन अनुमति के साथ ही लाया जा रहा था, ऐसी स्थिति में वन विभाग द्वारा ट्रेक्टर को जप्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित अधिहरण आदेश को निरस्त किया जाय।

प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता का महिन्द्रा ट्रेक्टर (लाल रंग) चेचिस नं0– RFNEO3660/इंजन नं0–RFNEO3660–सह–ट्रेलर अवैध रूप से बोल्डर (पत्थर) परिवहन के क्रम में दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड अन्तर्गत झिकरा जंगल से जप्त किया गया है। वाहन स्वामी को अपने पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनके द्वारा पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उक्त बोल्डर (पत्थर) का क्रय M/S Mohammad Bazar Crusher, Nischitpur (W.B) से किया गया है तथा उनके चालन सं0–Z010905 के माध्यम से उक्त बोल्डर (पत्थर) का परिवहन किया गया है।

पारित आदेश में यह भी उल्लेख है कि :–

(क) विषयक वन वाद के अभियुक्तों द्वारा अधिसूचित वन के प्लॉट संख्या–02/अंश जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–04 के तहत् अधिसूचना संख्या–2014–VIF-27-R दिनांक–16 मई 1944 द्वारा आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है, से अवैध रूप से बोल्डर (पत्थर) का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 (a) एवं 26 (b) के तहत् संज्ञेय एवं गैर जमानतीय वन अपराध है।

(ख) इस विषयक वाद में अभियुक्तों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुज्ञा–पत्र के बगैर जप्त पदार्थ बोल्डर (पत्थर) का परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अपराध है। भारतीय वन अधिनियम की धारा–02 उपधारा–4(b) (iv) के तहत् बोल्डर (पत्थर) (Rock & Minerals) वन उपज की श्रेणी में आता है।

(ग) न्यायालय मे वनरक्षी द्वारा प्रतिवादी पक्ष द्वारा समर्पित परिवहन अनुज्ञा–पत्र को फर्जी बताया गया। उक्त चलान की जाँच में अभियोजन पक्ष द्वारा पाया गया कि उक्त चलान Inter State चलान नहीं है एवं QR Code की पुष्टि नहीं हो पायी है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा परिवहन के समय कोई भी परिवहन अनुज्ञा–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(घ) विषयक वन वाद में अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन करना The Jharkhand Minerals (Prevention of legal Mining, Transportation and Storage) Rules,2017 की प्राधान सं0–09 का भी उल्लंघन है।

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त सूची वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर (लाल रंग) चेचिस नं0– RFNEO3660/इंजन नं0– RFNEO3660 –सह–ट्रेलर द्वारा दामिन प्रक्षेत्र काठीकुण्ड के झिकरा अधिसूचित वन के प्लांट सं0–02/अंश जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 04 के तहत् अधिसूचना सं0– 2014–VIF-27-R दिनांक– 16 मई 1944 द्वारा आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है, से अवैध रूप से बोल्डर (पत्थर) का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया गया, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26(a) एवं 26 (b) के तहत् संज्ञेय एवं गैर जमानतीय वन अपराध है।

वनरक्षी द्वारा प्रतिवादी पक्ष द्वारा समर्पित परिवहन अनुज्ञा–पत्र को फर्जी बताया गया, उक्त चालान की जाँच में

अभियोजन पक्ष के द्वारा यह पाया गया कि उक्त चलान Inter State चालान नहीं है एवं QR Code की पुष्टि नहीं हो पायी है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा परिवहन के समय कोई भी परिवहन अनुज्ञा–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे एवं विषयक वन वाद में अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन करना The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 की प्रावधान सं0–09 का भी उल्लंघन है।

इस आधार पर प्राधिकृत –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है एवं अपीलकर्त्ता के आवेदन अस्वीकृत के योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में प्राधिकृत –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को वरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

14 Bail-17/2/23

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.02.23 12:38:46 +05:30
Location: 169.254.227.244